UPBN010017352026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–551/2026
श्रीमती अजयवती बनाम राज्य
मु०अ०सं०–85/2025
सत्र वाद संख्या–862/2025
धारा–80(2), 85 बी०एन०एस०
एवं 3/4 डी०पी० एक्ट
थाना–उझानी, जिला–बदायूँ।

19–03–2026

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता **श्रीमती अजयवती** की ओर से यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना–पत्र **मु०अ०सं०–85/2025, सत्र वाद संख्या –862/2025, धारा–80(2), 85 बी०एन०एस० एवं 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना–उझानी, जिला–बदायूँ** के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, बदायूँ द्वारा दिनाँक 02–05–2025 को निरस्त किया जा चुका है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा हरविलास द्वारा थाना–उझानी, जिला–बदायूँ पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि कि प्रार्थी ग्राम वरामलदेव कोतवाली उझानी बदायूं का निवासी है। मैंने अपनी लड़की मन्जू का विवाह करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अभिषेक पुत्र नन्हें निवासी ग्राम अढ़ौली कोतवाली उझानी बदायूं के साथ हिन्दू रीति रिवाज से अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर बड़ी धूमधाम से किया था, परन्तु मेरा दामाद अभिषेक व उसके पिता नन्हें पुत्र मीहराम व मां अजयवती जो कि दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नहीं हुए। आये दिन दहेज में बुलट मोटर साइकिल व नकद रूपयों की मांग करते हुए मेरी लड़की मन्जू की मारपीट कर घर से निकालते हैं। दिनांक 26–02–2025 को सायं चार बजे करीब मुझे सूचना मिली कि मेरी लड़की की मृत्यु हो गयी है और मैं मौके पर पहुंचा तो मेरी लड़की का शव उसकी ससुराल में चारपाई पर पड़ा मिला, जिसके गले में चोट के निशान व हाथ की कलाई पर भी चोटें हैं। रिपोर्ट को आया हूं। आरोपियों ने दहेज के लालच में मेरी लड़की मन्जू की हत्या कर दी। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। वादी की तहरीर के आधार पर उक्त मामला संबंधित थाना उझानी बदायूं पर मु०अ०सं०–85/2025, धारा–85, 80(2) बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तगण अभिषेक, नन्हें, श्रीमती अजयवती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्तगण अभिषेक, नन्हें उर्फ सुखपाल व अजयवती के विरूद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

Digitally signed by VIVEK SANGAL
Date: 2026.03.19 16:17:07 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष है, उसे उक्त वाद में झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अपने पति नन्हें उर्फ सुखपाल व अन्य बच्चों के साथ अपने बड़े पुत्र अभिषेक से अलग रहती है तथा गांव में उसका अलग मकान है। अभिषेक से कोई सम्बन्ध व सरोकार प्रार्थिनी/अभियुक्ता का नहीं है। उपरोक्त वाद में पी०डब्लू0–1 के रूप में वादी हरविलास पुत्र अशर्फी लाल, पी०डब्लू0–2 के रूप में पीड़िता की माँ श्रीमती प्रेमवती पत्नी हरविलास व पी०डब्लू०–3 के रूप में पीड़िता का भाई भगवान सिंह पुत्र हरविलास व पी०डब्लू0–4 जुगेन्द्र मौर्य, पी०डब्लू०–5 रामविलास का बयान विचाराधीन न्यायालय ए०डी० जे०/पॉक्सो द्वितीय महोदय बदायूँ में हो चुका है। जिसमें प्रार्थी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के बड़े बेटे अभिषेक का मकान गांव की बाहरी तरफ स्थित है तथा घटना के समय दुकान पर मजदूरी करने गया था तथा घटना के समय वह गांव में मौजूद नहीं था। अभिषेक के मकान का जीना खुला हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अभिषेक के घर में घुसकर मृतका के साथ गलत हरकत कर मृत्यु को अन्जाम दिया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के खिलाफ उक्त मुकदमें से पूर्व अन्य कोई मुकद्मा नहीं चला है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता पूर्व सजायाफ्ता नहीं है तथा उसका श्रीमान जी के न्यायालय हिरासत से भागने एवं गवाहान सबूत तोड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा की जाये।

5– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्र मय केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में केस डायरी के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा हरविलास द्वारा अपनी लड़की मन्जू का विवाह करीब डेढ़ वर्ष पूर्व अभियुक्ता के पुत्र सह–अभियुक्त अभिषेक के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के साथ करना, परन्तु अभियुक्ता व सह–अभियुक्तगण द्वारा शादी में दिए गए दान–दहेज से संतुष्ट न होना और आये दिन दहेज में बुलट मोटर साइकिल व नकद रूपयों की मांग करते हुए मारपीट करते हुए वादी की लड़की मन्जू के साथ मारपीट करते हुए घर से निकालते रहना एवं दिनाँक 26–02–2025 को सायं चार बजे करीब वादी को उसकी लड़की की मृत्यु होने की सूचना मिलना और सूचना पर मौके पर पहुँचने पर वादी की लड़की का शव उसकी ससुराल में चारपाई पर पड़ा हुआ मिलना और उसके गले व हाथ की कलाई पर चोटों के निशान होना आदि तथ्य कहे गए हैं। वादी मुकदमा व अन्य गवाहान पंचान ओमेन्द्र, रजनेश कुमार व सुमरपाल आदि द्वारा बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए मृतका के गले व हाथ पर चोट के निशान होना और मौके पर किसी भी अभियुक्तगण का उपस्थित न होना कहा गया है। इसके अतिरिक्त केस डायरी के पर्चा संख्या–12 में साक्षीगण श्रीमती प्रेमवती, भगवान सिंह, जुगेन्द्र मौर्य व रामविलास ने अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए वादी की लड़की मंजू की शादी अभियुक्ता के पुत्र अभिषेक के साथ

होने और अभियुक्ता व सह–अभियुक्तगण द्वारा मंजू से अतिरिक्त दहेज की मांग करने और मांग पूरी न होने पर कई बार मारपीट करके घर से निकाल देने और मंजू द्वारा उक्त बात अपने घरवालों को बताने, कई बार पंचायत होने और लड़की का परिवार न टूट इसलिए मंजू को उसकी ससुराल भिजवा देने तथा दिनाँक 26–02–2025 को शाम चार बजे मंजू की मृत्यु की सूचना वादी को मिलने पर मौके पर पहुँचने पर उसकी लाश चारपाई पर पड़ी होने और जिसके गले व हाथ पर चोट आदि के निशान होने का कथन किया गया है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण **Asphyxia due to Antemortem Throttling** होना उल्लिखित किया गया है मृतका की मृत्यु विवाह के **07 वर्ष के अन्दर** ही मृतका की ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में होने का कथन किया गया है। अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा विवेचना उपरान्त अभियुक्ता व सहअभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा उनके विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है।

7– उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी /अभियुक्ता का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, बदायूँ द्वारा दिनांक–02–05–2025 को गुण–दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। पुनः प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में पी०डब्लू0–1 के रूप में वादी हरविलास पुत्र अशर्फी लाल, पी०डब्लू0–2 के रूप में पीड़िता की माँ श्रीमती प्रेमवती पत्नी हरविलास व पी०डब्लू०–3 के रूप में पीड़िता का भाई भगवान सिंह पुत्र हरविलास व पी०डब्लू0–4 जुगेन्द्र मौर्य, पी०डब्लू०–5 रामविलास का बयान विचाराधीन न्यायालय ए०डी० जे०/पॉक्सो द्वितीय महोदय बदायूँ में हो चुका है। जिसमें प्रार्थी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है। उक्त् के सापेक्ष विद्वान डी०जी०सी०(क्रि०) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में अभी संपूर्ण साक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है अभी और साक्ष्य आना शेष है। अतः इस स्तर पर, जबकि अभी अभियोजन का संपूर्ण साक्ष्य होना शेष है, प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थिनी /अभियुक्ता का **द्वितीय** जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **श्रीमती अजयवती** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है ।

(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।
JOCode– UP06516

दिनांक 19–03–2026

संजीव कुमार